डी0जी0 परिपत्र संख्या- 15/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक:अप्रैल 10, 2018

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा (सुमोटो) जनहित याचिका संख्या: 9661/2018 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

रोड़जाम आदि समस्या से निपटने के लिए इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:17/2013 द्वारा निर्गत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विगत माह बीपीएड प्रदर्शनकारियों द्वारा लखनऊ में बीच शहर में प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण रोड़जाम/यातायात की समस्या उत्पन्न हुई और जनमानस एवं स्कूली बच्चों को कठिनाईयों को सामना करना पड़ा, के समाचार को अंग्रेजी समाचार पत्र 'टाईम्स आफ इण्डिया' द्वारा दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा इस समाचार का संज्ञान लेते हुए उक्त सुमोटो जनहित याचिका बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 28.03.2018 को निर्देश दिये गये है।

शासन द्वारा लखनऊ में धरना/प्रदर्शन करने हेतु रमाबाई पार्क स्थित 'धरना स्थल' को चिन्हित किया गया है फिर भी प्रदर्शनकारी शहर के मध्य एवं हाईवे पर अपना कार्यक्रम करते है जिससे आमजन, वृद्ध, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचने एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को असुविधा होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निम्नांकित कार्यवाही की जाये:-

1-पुलिस अधिकारी, आयोजक से मिलकर प्रदर्शन का रास्ता एवं ऐसी शर्त तय करेंगे जिससे प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हो और आमजन को कोई असुविधा न हो।

2-सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, छुरी/लाठी सहित प्रदर्शन में प्रतिबन्धित होंगे।

3-आयोजक के द्वारा इस बात का बंधपत्र दिया जायेगा कि प्रदर्शन/धरना जिस स्थान पर करने की अनुमति प्रदान की जा रही है उसी स्थान पर शान्तिपूर्वक धरना/प्रदर्शन होगा तथा इसके लिए आवश्यक स्थानों पर मार्शल/व्यवस्थापक नियुक्त किये जायेंगे।

4-पुलिस/प्रशासन द्वारा आयोजन की यथासम्भव रूप से वीडियोग्राफी सुनिश्चित करायी जाये। वीडियोग्राफर को अधिकारी अपने साथ भी रखें तथा उसे निर्देशित करें कि जो गड़बड़ी कर रहे है उनकी वीडियोग्राफी तत्काल करें ताकि उपद्रवियों की पहचान व साक्ष्य संकलन में सहायता मिल सके।

5-धरना/प्रदर्शन की संभावित भीड़ एवं आगणित परिस्थितयों के अनुरूप फोर्स के प्रकार एवं संख्या तथा विभिन्न उपकरणों, बल प्रयोग के विभिन्न विकल्पों पर भी समय रहते विचारण कर लिया जाये।

6-बिजली-पानी या अन्य स्थानीय मांगो को लेकर किये जा रहे रोड़जाम/प्रदर्शन को सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर रोड़जाम/प्रदर्शन समाप्त कराया जाये।

7-यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो भी अधिकारी मौके पर जाये, उसकी व उसके अधीनस्थों की गाड़ियों में दंगा निरोधक उपकरण, लाउडहैलर, टियर गैस गन एवं रबर बुलेट इत्यादि अवश्य उपलब्ध रहे।

8-जहां तक सम्भव हो समझा-बुझाकर, विश्वास में लेकर लोगों को कानून उल्लंघन करने से रोका जाये। स्थानीय नेता, प्रभावशाली व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाये। सड़क जाम करने वालों को यह भी समझाया जाये कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कानून का उल्लघंन किया अथवा हिंसा की गयी तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी जिससे उन्हें भविष्य में कठिनाई होगी।

9-बल प्रयोग से पूर्व प्रचुर चेतावनी देना चाहिए। यह चेतावनी प्रत्येक प्रकार के बल प्रयोग से पूर्व विशिष्ट रूप से आवश्यक है-

(1)चेतावनी (2)मार्ग अवरोधन (3)गिरफ्तारी (4)वाटर कैनन(5)आश्रुगैस (6)लाठी (7)प्लास्टिक पैलेट्स (8) रबरबुलेट (9)अग्नेयास्त्र

बल प्रयोग उसी न्यूनतम सीमा एवं अवधि तक किया जाये जो कि उल्लंघनकर्ता को निष्क्रिय करने के लिये आवश्यक हो।

सार्वजनिक विरोध/प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस प्रदर्शन से आमजन, वृद्ध, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचने एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को कोई भी असुविधा तथा यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो। जहां तक संभव हो प्रदर्शनकारियों की संख्या के अनुरूप शहर के बाहरी स्थानों पर चिन्हित जैसे लखनऊ में धरना/प्रदर्शन करने हेतु रमाबाई पार्क स्थित 'धरना स्थल' की अनुमति प्रदान की जाये जिससे शहर के मध्य रहने वाले आमजन को जाम इत्यादि की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक विरोध/प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करते समय यह उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाये जिससे शहर में धरना/प्रदर्शन से आमजन, वृद्ध, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचने एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को कोई भी असुविधा तथा यातायात में व्यवधान भी उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,(नाम से)